

एलडिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
कार्यालय : द्वितीय तल, एलडिको कार्पोरेट चेम्बर-1, विभूति खण्ड, अपोजिट मण्डी परिषद
गोमती नगर, लखनऊ - 226010

सक्षम (ई.डब्ल्यू.एस) के भवनों के लिए

आवेदक का
नवीनतम फोटो
अनिवार्य है।

आवेदक का
नवीनतम फोटो
अनिवार्य है।

1. योजना का नाम एलडिको सक्षम (ई.डब्ल्यू.एस.)
2. आवेदक का नाम 1..... 2.....
3. पिता/पति का नाम 1..... 2.....
4. आयु 1..... 2..... वर्ष
(संयुक्त आवेदन की दशा में दोनों का विवरण भरा जाये)
5. पता (अ) वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु)
.....पिनकोड टेलीफोन नं०
- (ब) स्थायी पता (पत्र व्यवहार हेतु)
.....पिनकोड टेलीफोन नं०
ईमेल :
6. आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें)
(आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
7. पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण तथा एकाउन्ट नं०
बैंक का नाम शाखा का नाम
8. जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण, (ई. डब्ल्यू.एस)
पंजीकरण धनराशि रु. (शब्दों में)
शाखा पता
9. आवेदक का व्यवसाय वार्षिक आय
(प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)
10. आवेदक के परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण

नाम	आयु	सम्बन्ध
1.
2.
3.
4.
11. पैन नम्बर :
12. आधार नम्बर :

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तों को जो कि उ० प्र० शासन द्वारा शासनादेशों में दिए गए हैं को भली-भांति पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें मानने के लिये बाध्य हूँ। मैं/हम यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गयी कोई सूचना अथवा सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

आवेदकों/आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक : 1.
2.
3. 1. नाम

4. 2. नाम

दिनांक

.....कार्यालय के प्रयोग हेतु

पंजीकरण का दिनांक आवंटित पंजीकरण संख्या आवंटित भवन संख्या

आवंटन पत्र संख्या एवं निर्गत होने की तिथि

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम स्पष्ट अक्षरों में.....

एलडिको समृद्धि, उद्यान-2, रक्षा खण्ड, रायबरेली रोड, लखनऊ में दुर्बल आय वर्ग सक्षम (ई.डब्ल्यू.एस.) के प्रार्थियों हेतु आवासीय फ्लैटों/भवनों की योजना

विवरण पुस्तिका

01. योजना का विकास –

1.1 प्रस्तावित योजना :- एलडिको समृद्धि, उद्यान-2, रक्षा खण्ड, रायबरेली रोड, लखनऊ विकास क्षेत्र में स्थित।

1.2 विकासकर्ता कम्पनी एलडिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड।

02. भवनों के नाम –

- ई.डब्ल्यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) – एलडिको सक्षम

03. पंजीकरण हेतु पात्रता –

3.1 आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

3.2 आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय (N.R.I.) भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

3.3 आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/अन्य किसी सरकारी विभाग द्वारा लखनऊ में आवंटित कोई भी भवन/भूखण्ड/फ्लैट नहीं होना चाहिए एवं आवेदित सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश में दो से अधिक आवासीय सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए (परिवार से आशय पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों से है)।

3.4 आवेदक की आय दुर्बल आय वर्ग – एलडिको सक्षम (ई.डब्ल्यू.एस.) हेतु रु.3,00,000/- प्रति वर्ष होनी चाहिए। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें)। आवेदक को इस हेतु प्रस्तुत अपना घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो प्रार्थना पत्र के साथ जमा करना होगा।

3.5 आवेदक को इस हेतु प्रस्तुत घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो प्रार्थना पत्र के साथ जमा करना होगा।

3.6 आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

04. आवासीय इकाईयों

आवासीय इकाईयों के प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मीटर (रेस कार्पेट एरिया) (भवन)	क्षेत्रफल वर्ग मीटर (रेस बिल्टप एरिया)	भवनों की संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य (रु. में)	पंजीकरण धनराशि अनुमानित विक्रय मूल्य का रु. 10% (पूर्णांक में)	आवंटन के पश्चात 45 दिन के भीतर देय धनराशि अनुमानित विक्रय मूल्य का रु. 20% (पूर्णांक में)	अवशेष धनराशि 75% (पूर्णांक में) धनराशि की भुगतान पद्धति (12समान त्रमासिक किश्तों में)
दुर्बल आय वर्ग एल्लिको सक्षम (ई.डब्ल्यू.एस) एल्लिको समृद्धि	31.743	30.95	142	8,16,000 / -	40,800 /-	1,63,200 /-	12 समान त्रैमासिक किश्तों में

नोट : -

- 4.1 उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
- 4.2 आवंटन के पश्चात् वांछित धनराशि एवं किश्तें निर्धारित अवधि में जमा न कराने पर एम.सी.एल. आर. +1% वार्षिक ब्याज देय होगा।
- 4.3 धनराशि जमा न करने पर अधिकृत अधिकारी/प्रोजेक्ट मैनेजर लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे।
- 4.4 प्रस्तावित एल्लिको सक्षम (ई.डब्ल्यू.एस.) के फ्लैट में 31.743 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया है, फ्लैट में एक लिविन रूम, बैड रूम, बरान्डा, टॉयलेट व किचन स्पेस है।
- 4.5 विकासकर्ता द्वारा बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी। लेकिन अन्तिम निर्णय बैंक का होगा।

5. छूट

5.1 आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की 75% धनराशि पर 5% छूट अनुमन्य होगी, किन्तु आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटायी जायेगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात् अन्य देय मदों में समायोजित किया जायेगा।

5.2 आवंटी द्वारा सभी किश्तें समय से जमा करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की 75 प्रतिशत धनराशि पर 2% की छूट अनुमन्य होगी किन्तु आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटायी जायेगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के अन्य देय मदों में समायोजित किया जायेगा।

6. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :

यदि आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो उसे आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं वांछित प्रक्रिया के अनुपालन के उपरान्त हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

7. आरक्षण : -

7.1 शासनादेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा :-

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत %
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	एम.एल.ए./एम.पी. व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवक तथा सुरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उसके आश्रित	03
8.	दिव्यांगों को शासनादेश संख्या 786/आठ-1-25 विविध/07 दिनांक 31.01.2008 के अनुसार 03% होरीजेन्टल आरक्षण देय होगा।	03

7.2

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजन्टल होगा।

7.3

वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

7.4

आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7.5

पैरा 7.1(5) व 7.3 का आरक्षण प्राप्त करने के लिये आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7.6

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

- 7.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।
- 7.8 एल्लिको सक्षम (ई.डब्ल्यू.एस.) हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप संलग्न है।
- 7.9 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।
- 7.10 भविष्य में प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्तें यदि इस योजना पर लागू होंगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तों में संशोधित किये जायेंगे।
- 7.11 प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देश/नियम शर्तें भी यदि इस योजना पर लागू होती हैं तो उनका भी समायोजन इस योजना पर प्रभावी होगा।
- 7.12 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम -1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

8. आवंटन :-

- 8.1 प्रत्येक भवन का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा। लाटरी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या-1/2418/आठ-1-14-80 विविध/10 दिनांक 26.08.2014 द्वारा गठित समिति के निगरानी में सम्पन्न कराया जायेगा।
- 8.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगा एवं पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- 8.3 अप्रवासी भारतीय आवेदकों को भी सामान्य लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
- 8.4 जो प्रार्थी आर्हता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी में निहित रहेगा।
- 8.5 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 8.6 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन-पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी। यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह आवंटी को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 8.7 यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी को सूचित करे।

9. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी :-

- 9.1 लाटरी के पश्चात् असफल आवेदकों द्वारा आवेदन के एक माह के अन्दर धनराशि आवेदन पत्र में अंकित बैंक के माध्यम से वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैंक का आई.एफ.सी. कोड अवश्य अंकित करना होगा।
- 9.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् धनराशि वापस लेने पर 20% (जमा पंजीकरण धनराशि पर) कटौती करते हुये अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

10. तथ्यों का छिपाना :-

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनके आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विकासकर्ता कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, लखनऊ में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, एवं अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) कर सकते हैं।

11. फ्लैट्स का कब्जा एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित शर्तें :-

- 11.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धन निष्पादन के साथ ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा।
- 11.2 निबन्धन में आने वाले समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- 11.3 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क देना होगा, तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, लखनऊ को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 11.4 निर्माण पूर्ण करने हेतु दिया गया समय दैविक आपदा, किसानों के आन्दोलन आदि अपरिहार्य स्थिति में बढ़ सकता है।
- 11.5 आवंटन तिथि से 36 माह में सम्पूर्ण भुगतान किये गये आवंटी को फ्लैट के कब्जे का प्रस्ताव न दिये जाने की स्थिति में आवंटी को अपनी जमा धनराशि पर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अपनी जमा धनराशि वापस लेने का विकल्प होगा, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 11.6 उक्त योजना की भूमि एल्लिको को LDA के साथ लाइसेन्स समझौते के तहत मकानों व प्लाटों के विकास हेतु दी गई है। कॉलोनी का बाहरी विकास LDA द्वारा और भीतरी विकास एल्लिको द्वारा किया गया है।
- 11.7 'सेल एग्रीमेंट/लीज/सेल डीड' सम्बन्धित सभी खर्चे, स्टाम्प शुल्क, कागजी कार्यवाही की फीस आदि का व्यय आवंटी ही वहन करेगा।
- 11.8 पंजीकरण तिथि के बाद जमीन या मकान पर लागू सभी प्रकार के वर्तमान या भविष्यगामी टैक्स, जिसमें LDA को दिया जाने वाला फ्रीहोल्ड व्यय शामिल है, आवंटी को अदा करने होंगे।
- 11.9 मकान का कब्जा मकान के मूल्य तथा अन्य देय राशि के पूर्ण भुगतान तथा LDA से लीज/सेल डीड होने के बाद ही दिया जाएगा।
- 11.10 मकान की 'लीज डीड' सीधे LDA द्वारा आवंटी के पक्ष में की जाएगी जिसके पूर्व आवंटी द्वारा कम्पनी को आवंटन-सम्बन्धी पूर्ण भुगतान करना आवश्यक है।
- 11.11 एल्लिको व LDA के बीच हुए लाइसेंस समझौते की सभी शर्तें व नियम आवंटी पर भी लागू होंगी।

- 11.12 LDA द्वारा जमीन के अधिग्रहण के बाद लाइसेंस समझौते के नियमानुसार अगर LDA द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय मुआवजे के रूप में लागू किया जाता है या कोई अन्य कर लगाया जाता है तो इसका अनुपातिक अतिरिक्त व्यय आवंटी द्वारा देय होगा।
- 11.13 कम्पनी को LDA द्वारा आवंटित भूमि की शर्तों के अनुसार LDA को पहले से अदा की गई रकम के अलावा अगर किसी अतिरिक्त सुविधा या खर्च हेतु कोई अन्य मूल्य चुकाना पड़ता है तो आवंटी को अनुपातिक अतिरिक्त व्यय अदा करना होगा। LDA या UPSEB द्वारा अगर बाहरी विद्युतीकरण के लिए बिजली के उपकेन्द्र (sub-station) के हिस्से के रूप में किसी प्रकार का अतिरिक्त कर लागू किया जाता है तो भी आवंटी को इसका अनुपातिक व्यय अदा करना होगा।
- 11.14 कानपुर रोड योजना में रवि खण्ड (उद्यान-1) और शारदा नगर योजना में रक्षा खण्ड (उद्यान-2) में LDA द्वारा कम्पनी को आवंटित 'लीज होल्ड' भूमि पर 'सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम' के अन्तर्गत मकानों का निर्माण एवं बिक्री एल्टिडको द्वारा की जा रही है। आवंटी द्वारा लीज शुल्क व फ्रीहोल्ड शुल्क का भुगतान अनिवार्य है। इन शुल्कों के भुगतान के पश्चात यह भूमि फ्रीहोल्ड में परिवर्तित हो जाएगी।

12. शुल्क/कर आदि की देयता :-

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

13. अन्य नियम व शर्तें

- 13.1 आवंटन के पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- 13.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक के नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।
- 13.3 एक से अधिक फ्लैटों का 'अमलगमेशन' अथवा उन्हें जोड़कर एक इकाई/भवन बनाना प्रतिबन्धित होगा।
- 13.4 फ्लैटों/भवनों का आवंटन लीज-होल्ड के आधार पर किया जायेगा, जिसके विक्रय/हस्तान्तरण पर आवंटन की तिथि से 5 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक प्रतिबन्ध रहेगा तथा उक्त तिथि अवधि के पश्चात् ही लाभार्थी के पक्ष में फ्री-होल्ड किया जा सकेगा।
- 13.5 ब्याज मुक्त रख-रखाव सुरक्षा प्रभार (आई.एफ.एम.एस.) के लिए शुल्क रू. 20/- प्रति वर्गफुट एवं सांकेतिक मासिक आवर्ती रख-रखाव प्रभार (एम.आर.एम.सी.) जो कि सक्षम (ई.डब्ल्यू.एस.) रू. 750/- के लिए प्रतिमाह एवं जल/सीवर संयोजन प्रभार, कॉमन

एरिया के पावर बैकअप अनुपातिक लागत के अनुसार, वाह्य विद्युतीकरण एवं अग्निशमन प्रभार शुल्क तथा प्रशासनिक शुल्क (यदि लागू हों) का अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

13.6 कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त सांकेतिक रख-रखाव शुल्क लागत के आधार पर प्राप्त किये गये हैं, जो कि फरवरी 2021 में हैं। हलांकि वास्तविक रख-रखाव शुल्क की सूचना फ्लैट के कब्जे के समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के आधार पर गणना की जायेगी। उपरोक्त शुल्क लागू करों के अतिरिक्त हैं। इसके अलावा, अग्रिम में ऐसे शुल्क के भुगतान के बावजूद किसी भी समय रख-रखाव शुल्क को संशोधित किया जा सकता है।

13.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

14. पंजीकरण प्रक्रिया :-

14.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रू. 500.00 नगद भुगतान पर पंजाब नेशनल बैंक, शाखा – विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त की जा सकती है।

15. 15.1 विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रूपेण भरें।

15.2 पंजीकरण धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर “एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,” लखनऊ के पक्ष में देय होंगे।

15.3 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप का रू0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

15.4 पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र पंजाब नेशनल बैंक, शाखा – विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में अंतिम तिथि तक जमा किये जा सकते हैं।

15.5 आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विज्ञापन के अनुसार होगी।

16. आवेदन-पत्र भरने के लिये अनुदेश :-

16.1 आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

16.2 शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की भी व्यवस्था है।


16.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।

16.4 आवेदन-पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस दिया जाना अनिवार्य होगा।

16.5 आवेदक द्वारा प्रत्येक बार किश्त जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट/चैक के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी।

नोट : इस प्रपत्र में इंगित किये गये नियम, शर्तें व आदेश की समस्त विस्तृत जानकारी आपके विक्रय अनुबन्ध में अंकित होगी।

एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
 एल्लिको कार्पोरेट चैम्बर- I, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010



घोषणा – पत्र

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. मेरे या मेरे परिवार (पति/पत्नी तथा आश्रित/अवयस्क बच्चों एवं तलाकशुदा पुत्री/ के पास लखनऊ नगर में, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/अन्य किसी सरकारी विभाग द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड/भवन/प्लैट नहीं है। यदि घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि प्लैट की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भौति मुझसे वसूल कर ले।
3. यदि किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित प्लैट के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में बैंक खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले चार वर्ष तक क्रियाशील रहेगा।
7. मैंने शासनादेश संख्या दिनांक में निर्धारित शर्तों का अवलोकन कर लिया है तथा उसके अधीन इस योजना में प्लैट प्राप्त करने की अर्हता रखता हूँ।

साक्षी

(आवेदक के हस्ताक्षर)